# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

**प्रकरण संख्या– 57 / 2025**

1. इन्द्राज पुत्र तखुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. अमीलाल पुत्र तखुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. लीलूराम पुत्र तखुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. भानीशंकर पुत्र तखुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. देवीलाल पुत्र तखुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

उपस्थित:– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अपीलांट।

श्री भरतसिंह बैनिवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4

निर्णय — दिनांक–28.11.2025

अपीलांट इन्द्राज पुत्र तखुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर द्वारा नायब तहसीलदार भू.अ. खुईया के आदेश क्रमांक 550 दिनांक 06.01.2024 में जिसमें नामान्तकरण संख्या 2896 रोही मोजा थिराना के विरूद्ध अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested

1. रोही मोजा थिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2075 के खाता संख्या 22 के खसरा नं0 394 / 1 की 6.5770 है0 , खसरा नं0 459 की 14.8720 है0 खसरा नं0 477 की 3.9200 है0 व खाता संख्या 128 के खसरा नं0 458 की 10. 3570 है0 भूमि के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ब.हि.ब. के मुश्तरका

अतिरिक्त जिला क
नोहर (हनुमानगढ़)

खातेदार काश्तकार थे, जिन्होने सभी ने आपसी सहमति से मुताबिक हक व हिस्सा व मुताबिक कब्जा काश्त दिनांक 06.01.2024 को खाता विभाजन करवाया था।

2. खाता विभाजन दिनांक 06.01.2024 के आधार पर अपीलान्ट को रोही मोजा थिराना के खसरा नं0 975 / 394 की 1.3154 है0 व खसरा नं0 980 / 458 की 2.6577 है0 व खसरा नं0 985 / 459 की 3.1721 यानि कुल 7.1452 है0 भूमि प्राप्त हुई व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खसरा नं0 974 / 394 की 1.3154 है0 , खसरा नं0 979 / 458 की 1.6805 है0 , खसरा नं0 984 / 459 की 2.8426 है0 व खसरा नं0 989 / 477 की 1. 3067 है0 यानि कुल 7.1452 है0 भूमि प्राप्त हुई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को खसरा नं0 978 / 394 की 1.3154 है, खसरा नं0 983 / 458 की 2.6577 है0, खसरा नं0 988 / 459 की 3.1721 है0 यानि कुल 7.1452 है0 भूमि प्राप्त हुई है व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को खसरा नं0 977 / 394 की 1.3154 है0 , खसरा नं0 9822 / 458 की 1.6806 है0 , खसरा नं0 987 / 459 की 2.8426 है0 व खसरा नं0 991 / 477 की 1.3066 है0 यानि कुल 7.1452 है0 भूमि प्राप्त हुई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को खसरा नं0 976 / 394 की 1.3154 है0, खसरा नं0 981 / 458 की 1.6805 है0, खसरा नं0 986 / 459 की 2.8426 है0 व खसरा नं0 990 / 477 की 1.3067 है0 यानि कुल 7.1452 है0 भूमि प्राप्त हुई।

3. खाता विभाजन दिनांक 06.01.2024 के आधार पर तहसीलदार भू0 अ0 खुंईया द्वारा दिनांक 22.09.2024 को तस्दीक नामान्तकरण संख्या 2896 रोही मोजा थिराना, को निरस्त करवाकर उक्त नामान्तकरण से पूर्व की स्थिति बहाल करवाने का अपीलान्ट अधिकारी है, इसलिए विधि विरूद्ध नामान्तकरण निरस्त योग्य है।

4. खाता विभाजन दिनांक 06.01.2024 जो की हल्का पटवारी द्वारा विवादित भूमि का बिना मौका देखे व बिना भौतिक सत्यापन के जांच किये बिना ही हल्का पटवारी ने खाता विभाजन तैयार करवाकर एंव नजरिया नक्शा तैयार कर अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवा लिये व अपीलान्ट एक ग्रामीण किसान है, जिसको कागजी कार्यवाही का ज्ञान नही था। इसलिए उक्त खाता विभाजन दर्शाये गये नक्शे में व मौके पर भिन्नता है। जिसके कारण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। इसलिए आदेश दिनांक 06.01.2024 निर[illegible] है व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया [illegible] निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकरो [illegible] दिया जाना एंव न ही मातहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्राव[illegible] का गहन अध्ययन किया गया तथा जल्दबाजी में विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.01.2024 को पारित कर दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

11.09.2024 को नामान्तकरण संख्या 2896 मंजूर कर दिया गया, जो की विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है, जो की निरस्त योग्य है।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के साथ मिलकर साजिशाना तरीके से विवादित भूमि का खाता विभाजन, बिना भौतिक सत्यापन किये मातहत अदालत द्वारा किया गया, उक्त निर्णय विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने की बजह से निरस्त योग्य है।

6. मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का विधिवत रूप से कोई अवसर नही दिया एंव ना ही कब्जा सम्बधित जांच कि गई यदि कब्जा सम्बिधित सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नही होती। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।

7. मातहत अदालत द्वारा निर्णय से पूर्व कब्जा से सम्बधित जांच कर प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई का विधिवत रूप से अवसर दिया जाना चाहिये था जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है। जिससे यह साबित हो सके की पत्रावली के निर्णय से पूर्व हल्का पटवारी या तहसीलदार द्वारा वाद भूमि का मौका देखा गया हो, जो की मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है, जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

8. अपील अदालत के क्षैत्राधिकार श्रवणाधिकार निर्धारित कोर्ट फिस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय नायब तहसीलदार भू.अ. खुईया आदेश क्रमांक 550 दिनांक 06.01.2024 को निरस्त किया जाकर, जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 2896 रोही मोजा थिराना स्वीकृत किया गया, को खारिज फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री भरतसिंह बैनिवाल उपस्थित हुए। अधिवक्ता अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 4 की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार कर नायब तहसीलदार खुईयां के आदेश क्रमांक 550 दिनांक 06.01.2024 एंव नामान्तरण संख्या 2896 दिनांक 11.09.2024 को अपास्त किया जावे।

अपर जिला कलक्टर नोहर (हनु.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 57/2025 अनवान इन्द्राज बनाम अमीलाल आदि

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 1 ता 4 द्वारा अधिवक्ता अपीलांट के कथन पर सहमती जाहिर की गई एंव कथन किया कि न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार खुईयां के आदेश क्रमांक 550 दिनांक 06.01.2024 एंव नामान्तरण संख्या 2896 दिनांक 11.09.2024 को अपास्त किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 को कोई आपति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अध्ययन किया गया। नायब तहसीलदार खुईया द्वारा आदेश क्रमांक 550 दिनांक 06.01.2024 अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की लिखित सहमती के आधार पर रोही मौजा थिराना, तहसील नोहर के खाता संख्या 22 के खसरा नं0 394/1 की 6.5770 हैक्टेयर, खसरा नं0 459 की 14.8720 हैक्टेयर व खसरा नं0 477 की 3.9200 हैक्टेयर व खाता संख्या 128 के खसरा नं0 458 की 10.3570 हैक्टेयर संयुक्त खाता की भूमि का खाता विभाजन किया गया लेकिन खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय हल्का पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण किये बगैर ही खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार किया, जिससे खाता विभाजन में दर्शाये गये नक्शे व मौके पर भिन्नता हो गई। अतः नायब तहसीलदार खुईया के आदेश क्रमांक 550 दिनांक 06.01.2024 त्रुटि प्रतीत होती है।

अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की सहमती के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार खुईया के आदेश क्रमांक 550 दिनांक 06.01.2024 एंव नामान्तरण संख्या नामान्तरण संख्या 2896 दिनांक 11.09.2024 रोही मौजा थिराना को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 28/11/25 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested